अमृत 2.0
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

सत्यमेव जयते

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0)

AMRUT 2.0
Making Cities Water Secure

मिशन दिशा निर्देश का संक्षिप्त विवरण एवं अन्य शहरी विकास योजनाओं के साथ अभिसरण

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ

(भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित)

(क्षमता निर्माण आयोग, भारत सरकार द्वारा 'उत्कृष्ट' मान्यता प्राप्त)

कुल सचिव कार्यालय के समीप, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ–226007
उत्तर प्रदेश, फोन नं0–0522–2740165 (टेलीफैक्स)
ई–मेल–rcueslucknow@gmail.com वेबसाइट–www.rcueslucknow.org

प्राक्कथन

जैसे जैसे राष्ट्रों द्वारा उनके आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिकाधिक क्षमता उनकी नगरीय प्रशासन की योग्यता पर आधारित होती जा रही है वैसे वैसे नगरीय प्रशासन की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह काफी हद तक शहरी केंद्रों द्वारा राष्ट्रीय आय और विकास के अन्य क्षेत्रों में उनका मात्रात्मक एवं गुणवत्तापरक योगदान है जैसे कि सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों का निर्माण, सूचना और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम द्वारा सामाजिक पूंजी का निर्माण।

शहरों को प्रायः आर्थिक विकास के इंजन के रूप में संदर्भित किया जाता है। नगरीय विकास न केवल शहरों को बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है बल्कि आर्थिक प्रगति और मानव विकास के बीच स्थायी और उत्पादक संलयन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस बात का रचनात्मक ध्यान रखा जाये कि विस्तृत होते शहरों को किस प्रकार सुविकसित किया जाये।

नगरीय विकास के पूर्व मिशनों ने यह सीख दी है कि अवसंरचना निर्माण से जनता की वास्तविक जरूरतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना चाहिए। जैसे घरों के लिए बुनियादी सेवायें जिसमें जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रदान करना और शहरों में सुविधायें उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इसी उद्देश्य से अमृत योजना को 500 शहरों में 25 जून 2015 को प्रारम्भ किया गया था। मिशन के सफलता को देखते हुए इसे सभी वैधानिक शहरों में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत 2.0 मिशन का शुभारम्भ 1 अक्टूबर, 2021 को करते हुए इसे वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए लॉन्च किया है।

यह मॉड्यूल समस्त सार्वजनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की जरूरतों की पूर्ति करता है–यथा स्थानीय नगरीय निकायों में नियुक्त अथवा निर्वाचित जन प्रतिनिधि, अर्धशासकीय व अन्य संबंधित नगरीय प्रशासन संस्थायें तथा राज्य सरकार के विभाग, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शहरी प्रबंधन में शामिल हैं।

इस मॉड्यूल का प्राथमिक उद्देश्य नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों में अमृत 2.0 में वर्णित समस्त जानकारियों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने एवं प्रयोग में लाने में मदद करना है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर बुनियादी समझ एवं संभावित समाधानों को विकसित करना है।

डा0 निशीथ राय
निदेशक

विषय–सूची

क्रम सं0	विवरण	पेज संख्या
1.	अमत 2.0 मिशन का परिचय	1
2.	अटल नवीकरण आर शहरी परिवतन मिशन 2.0: उददेश्य	1
3.	सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना	2
4.	अमृत 2.0 और लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश प्रतिबद्धता	2
5.	लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश क्या है?	3
6.	महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) की जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण और जल अवसंरचना संचालन में भागीदारी	4
7.	अमृत 2.0 के घटक	5
8.	परियोजनाएँ	5
9.	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (ए एवं ओई)	5
10.	सुधार	5
11.	सूचना, शिक्षा और संचार	5
12.	पेय जल सर्वेक्षण	5
13.	परियोजनाएं	6
14.	निधि आवंटन	8
15.	परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण	8
16.	मिशन कार्यान्वयन	9
17.	मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग (***MOU***)	9
18.	शहरी जल संतु लन योजनाएँ (***City Water Balance Plans***)	9
19.	शहरी जल कार्य योजनाएँ (***City Water Action Plans***)	9
20.	राज्य जल कार्य योजनाएँ (***State Water Action Plans***)	9
21.	शहरी जलभृत प्रबंधन योजना (***Urban Aquifer Management Plan***)	10
22.	परियोजनाओं का कार्यान्वयन	10
23.	परियोजनाओं की निगरानी	10
24.	परियोजना निधि जारी करना (पीपीपी के अलावा)	10
25.	पीपीपी मोड में कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए निधि का आवंटन	11
26.	राज्यों एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (***A&OE***)	11
27.	सुधार प्रोत्साहन	11
28.	अमत 2.0 के अन्तर्गत सुधार एजेण्डा	12
29.	अनिवार्य सुधार	12
30.	प्रोत्साहन आधारित सुधार	12

31.	(अ) जल संरक्षण पर सुधारः	12
32.	गैर–राजस्व जल में 20% से नीचे की कमी	12
33.	एक एकड़ क्षेत्रफल वाले जल स्रोतों का पुनरूद्धार	13
34.	चयनित वार्डों में 'नल से जल' सुविधा के साथ 24X7 जल आपूर्ति	13
35.	हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास	13
36.	(ब) शासन आधारित सुधार	14
37.	जल एवं सीवर कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी	14
38.	क्रेडिट रेटिंग और नगरपालिका बांड जारी करना	14
39.	ऑनलाइन नगरपालिका सेवा प्रणाली	14
40.	पचास हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में विद्युत वाहन चार्जिंग पॉइंट	14
41.	दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को बढ़ावा देना	14
42.	दस लाख के कम आबादी वाले शहरों में पीपीपी परियोजना	14
43.	ऊर्जा दक्षता में सुधार	14
44.	शहरी नियोजन में सुधार और शहरी नियोजन के माध्यम से भूमि मूल्य का खुलासा करना	15
45.	पेय जल सर्वेक्षण	15
46.	प्रौद्योगिकी उप–मिशन	15
47.	प्रभावी परिणामो के लिए सामंजस्य	16
48.	ग्रामीण–शहरी सामंजस्य	16
49.	शहरी–शहरी सामंजस्य	16
50.	मिशनों के बीच सामंजस्य	16
51.	क्षमता निर्माण	16
52.	Urabn Aquifer Management Plan (शहरी जलभृत प्रबंधन योजना)	16
53.	सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान	17
54.	आईईसी उपकरण और कार्य योजना	17
55.	संस्थागत तंत्र	17
56.	राष्ट्रीय स्तर	18
57.	शीर्ष समिति (***Apex Committee***)	18
58.	राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (***PMU***)	18
59.	स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी (***IRMA***)	18
60.	राज्य स्तर	18
61.	राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (***SHPSC***)	18
62.	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (***SLTC***)	19
63.	परियोजना विकास एवं प्रबंधन सलाहकार (***PDMC***)	19
64.	नगरीय निकाय स्तर	19
65.	सिटी मिशन प्रबंधन इकाइयाँ (***CMMU***)	20
66.	जिला स्तर	20

67.	अमृत की चलायमान परियोजनाएँ	20
68.	शहरी विकास योजनायें एवं अमृत 2.0 के साथ इनका अभिसरण	20
69.	स्वच्छ भारत मिशन 2.0	20
70.	स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 का परिचय	20
71.	लक्ष्य	21
72.	प्रमुख विशेषताएँ	21
73.	वित्तपोषण	21
74.	कार्यान्वयन	21
75.	चुनौतियाँ	21
76.	निधि साझाकरण	21
77.	मिशन परिणाम	22
78.	स्वच्छ भारत मिशन में सूचना, शिक्षा और संचार	22
79.	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0	23
80.	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 का कार्यक्षेत्र	23
81.	आच्छादन	25
82.	पात्रता मानदंड	25
83.	कार्यान्वयन पद्धति	26
84.	पीएम स्वनिधि योजना	27
85.	पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य	27
86.	पीएम स्वनिधि योजना की विशेषताएं	27
87.	पीएम स्वनिधि योजना का लोन लेने के लिए पात्रता	27
88.	पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया	28
89.	आवश्यक दस्तावेज	28
90.	स्वनिधि से समृद्धि	28
91.	सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइलिंग के क्षेत्र	28
92.	डेटा संग्रह और पात्रता का आंकलन	29
93.	योजनाओं का आच्छादन	29

अमृत 2.0 मिशन का परिचय

माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान कहा था, ‘‘भारत वर्ष में लगभग आधे घरों में पानी नहीं है...महिलाओं को पानी लाने के लिए दो से तीन किमी दूर जाना पड़ता है हमें जल संरक्षण, सिंचाई, वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरूद्धार, समुद्री जल का अलवणीकरण और अपशिष्ट जल का उपचार के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है’’। इन मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए, उन्होंने जल जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की।

इससे पहले, नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए 25 जून 2015 को 500 शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) लॉन्च किया गया था जिसे प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन के रूप में जाना जाता है।

अमृत का लक्ष्य 1.39 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके सभी व्यक्तियों को जल आपूर्ति की सेवायें प्रदान करना था। इसी तरह, सीवर/सेप्टेज कनेक्शन का कवरेज 1.45 करोड़ कनेक्शन प्रदान करके 31% से 62% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। अब तक 1.12 करोड़ नल कनेक्शन और 87 लाख सीवर कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 1800 एमएलडी क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र बनाए गए हैं। इसमें से 907 एमएलडी का पुनः उपयोग किया जा रहा है। इस मिशन से बीमारियों का प्रकोप कम हुआ है और सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, विशेषकर महिलाओं के समय और ऊर्जा की बचत हुई है जिसे वे रचनात्मक उपयोग में ला सकती हैं।

सतत विकास लक्ष्य 6.4 का उद्‌देश्य सन् 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल–उपयोग दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करना और पानी की कमी को दूर करने के लिए ताजे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। एसडीजी 6 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और जल क्षेत्र में जीवन को आसान बनाने के लिए 500 अमृत शहरों से बढ़ा कर सभी वैधानिक शहरों तक अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) शुरू किया गया है। इससे 500 अमृत शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की 100% कवरेज भी सुनिश्चित होगी।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0: उद्‌देश्य

अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। अमृत 2.0 शहरों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है। जिसका उद्‌देश्य सभी शहरों को ‘जल सुरक्षित’ और सभी घरों में क्रियाशील जल नल कनेक्शन प्रदान करना है। इस उद्‌देश्य को जल स्रोत संरक्षण, जल स्रोतों और कुओं के पुनरुद्धार, उपचारित उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग और बड़े पैमाने पर समुदाय के सहयोग से वर्षा जल संचयन का प्रभावी उपयोग करते हुए पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यह मिशन लोगों के कार्यक्रम यानी जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। मिशन का लक्ष्य 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज/सेप्टेज प्रबंधन प्रदान करना भी है।

सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना:

मिशन, महिलाओं और युवाओं का सहयोग से अपनी प्रगति के बारे में समकालिक फीडबैक लेगा। महिला एसएचजी जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण और जल बुनियादी ढांचे के संचालन में शामिल होंगी। सभी शहरों में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करने का दृढ़ प्रयास किया जाएगा।

मिशन का सुधार एजेंडा नगरीय निकाय की वित्तीय स्थिरता और जल सुरक्षा पर केंद्रित है। जल संबंधी प्रमुख सुधारों में पुनर्चक्रित जल के माध्यम से पानी की 20% मांग को पूरा करना, गैर–राजस्व जल को 20% से कम करना और जल स्रोतों को पुर्नजीवन प्रदान करना मुख्य हैं। संपत्ति कर सुधार, उपयोगकर्ता शुल्क में सुधार, शहरी नियोजन और नगरीय निकाय की ऋण पात्रता में वृद्धि अन्य महत्वपूर्ण सुधार हैं।

मिशन प्रत्येक परियोजना में स्मार्ट समाधानों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मिशन में कुओं के पुनरुद्धार पर एक उप–योजना होगी।

ठेकेदारों, प्लंबरों, प्लांट संचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मिशन के परिणामों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाएगा। छात्रों को गिग इकोनॉमी मॉडल के माध्यम से परियोजनाओं और आउटपुट के सर्वेक्षण के लिए लगाया जाएगा।

अमृत 2.0 और लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश प्रतिबद्धता

अमृत 2.0 मिशन के अन्तर्गत लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश संबंधित परिचालन दिशानिर्देश अगस्त 2023 में निर्गत किया गया है। जो यह बताता है कि 2015 में शुरू किया गया मिशन सभी के लिए विशेषकर महिला लाभार्थियों के बीच रोगों के बोझ को कम कर रहा है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। अमृत 2.0 मिशन परियोजना कार्यान्वयन के माध्यम से कार्यात्मक परिणामों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। ऐसा करते हुए, मिशन का स्वीकार्य परियोजनाओं में अनौपचारिक बस्तियों और निम्न–आय वर्ग के परिवारों को सेवाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान है। इसके अलावा, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के प्रति मिशन की प्रतिबद्धता इसके परिचालन, वितरण और निगरानी पर जोर देने के माध्यम से है, जिसका उद्देश्य है:

- महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ जल प्रबंधन (जिसमें जल गुणवत्ता परीक्षण, जल मांग प्रबंधन और जल अवसंरचना संचालन आदि शामिल हैं) में सहयोग करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में सेवाओं के प्रभावी परिणामों के लिए महिलाओं और युवाओं के साथ सहयोग करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग और जल/सीवरेज बोर्ड जैसे कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सभी शहरों में जल गुणवत्ता परीक्षण में महिलाओं को प्रशिक्षित करके क्षमता निर्माण करना।
- विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के साथ सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) लक्षित दृष्टिकोण को प्राप्त

करना। इस कार्य के लिए जल क्षेत्र में लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशी समूहों के वास्तविक अर्थों में सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए, परियोजना चक्र के सभी चरणों में उनकी जरूरतों और हितों को संबोधित करने और उन्हें रणनीतिक निर्णय लेने के पदों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी।

लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश क्या है?

लैंगिक समानता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ सभी मनुष्यों द्वारा लैंगिक समूहों (पुरुषों, महिलाओं और तीसरे लिंग) के विभिन्न व्यवहारों, आकांक्षाओं और जरूरतों को समान रूप से मान जाए, महत्व दिया जाए और पसंद किया जाए। लैंगिक समानता का अर्थ है सभी लिंगों के सभी लोगों के लिए समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर प्रदान किया जाये, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और अपनी लैंगिक पहचान के बावजूद किसी भी संगठन या समाज में अपने मानवाधिकारों का प्रयोग कर सकें।

सामाजिक समावेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह समाज और इसकी प्रक्रियाओं में समान रूप से भाग ले सकते हैं, अपनी क्षमता, पहुंच, अवसर और गरिमा में सुधार कर सकते हैं, चाहे उनकी कमजोरियां और उनकी विश्वास प्रणाली, पहचान, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति का आधार कुछ भी हों। सामाजिक समावेश यह सुनिश्चित करता है कि गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के जोखिम वाले लोग वह मान्यता, अवसर और संसाधन प्राप्त कर सकें जिनकी उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने और उस समाज में एक सामान्य माने जाने वाले जीवन स्तर और कल्याण का आनंद लेने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे उन मामलों पर निर्णय लेने में अधिक भाग ले सकें जो उन्हें प्रभावित करते हैं और उन संसाधनों, अवसरों और सेवाओं तक समान पहुंच प्राप्त कर सकें जिनकी उन्हें अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

अमृत 2.0 में लैंगिक समानता और समावेशिता के लिए दिशा–निर्देशों का मुख्य उद्देश्य शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता में लैंगिक समानता और समावेशिता को सुनिश्चित करना है। यह दिशा–निर्देश शहरों में पानी और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं के सभी चरणों में लैंगिक समानता और समावेशिता समूहों के हित और जरूरतों को शामिल करने पर जोर देते हैं।

अमृत 2.0 में लैंगिक समानता और समावेशिता दिशा–निर्देशों के प्रमुख बिंदुः

- सामुदायिक भागीदारीः लैंगिक समानता और समावेशिता दिशा–निर्देश सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- सामुदायिक सशक्तिकरणः यह दिशा–निर्देश समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- सभी के लिए जल सुरक्षाः अमृत 2.0 का लक्ष्य शहरी निवासियों, खासकर शहरी गरीबों के लिए शहरों को जल सुरक्षित बनाना है।
- लैंगिक समानताः यह दिशा–निर्देश विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता को शामिल करने पर जोर देते हैं, जैसे कि शहरी योजना, जल संसाधन प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन।

- महिलाओं की भागीदारीः यह दिशा–निर्देश महिलाओं को परियोजना के सभी चरणों में शामिल करने और निर्णय लेने के पदों पर प्रतिनिधित्व करने पर जोर देते हैं।
- अनुभवों को समझनाः लैंगिक समानता और समावेशिता दिशा–निर्देश विभिन्न समूहों के अनुभवों और जरूरतों को समझने और संबोधित करने पर जोर देते हैं।
- शिक्षा और जागरूकताः यह दिशा–निर्देश जल संरक्षण और स्वच्छता के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों को शामिल करते हैं।

संक्षेप में, अमृत 2. 0के लैंगिक समानता और समावेशिता दिशा–निर्देश शहरों में जल और स्वच्छता में लैंगिक समानता और समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह दिशा–निर्देश सामुदायिक भागीदारी, सशक्तिकरण, और सभी के लिए जल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) की जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण और जल अवसंरचना संचालन में भागीदारीः

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने महिला स्वयं सहायता समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला भागीदारी नोट तैयार किया है।

यह नोट शहर की जल कार्य योजनाओं के अनुसार सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें मिशन के तहत सक्रिय भागीदारी के लिए कई तरीकों से जोड़ा जा सकता है। इस नोट की मुख्य बातें नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई हैंः

अमृत 2.0 के लिए महिला स्वयं सहायता समूह	
मुख्य तथ्य	संलग्नता का दायरा
कुल स्वयं सहायता समूह– 1598 राज्य–24 नगर निकाय–1089	• जल मांग प्रबंधन • जल गुणवत्ता परीक्षण • जल अवसंरचना का निर्माण और परिसंपत्ति प्रबंधन • जागरूकता निर्माण • सामुदायिक गतिशीलता • जल चैंपियन

स्रोतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

इन स्वयं सहायता समूहों की पहचान और सूचीकरण MoHUA की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के साथ मिलकर काम करने की तैयारी को दर्शाता है। MoHUA को ऐसे अभिसरण की बारीकियों को आकार देने और औपचारिक रूप देने की आवश्यकता होगी ताकि इसे एक GESI (लिंग, समानता, और सामाजिक समावेशन) सुधार के रूप में संस्थागत बनाने में मदद मिल सके जिसे परियोजनाओं में प्रदर्शित किया जा सके।

अमृत 2.0 के घटक

परियोजनाएँ:

नगरीय निकाय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं को कवर करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विस्तृत शहर जल संतुलन योजना (CWBP) और शहर जल कार्य योजना (CWAP) प्रस्तुत करेंगे। जल क्षेत्र में स्थिरता और दक्षता में सुधार पर ध्यान देने के साथ निम्नलिखित परिणामों के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

1. जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज,
2. सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन और उपचारित उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, और
3. जल स्रोतों का पुनरूद्धार और हरित क्षेत्रों का निर्माण।

प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (ए एवं ओई):

प्रशासनिक एवं अन्य व्यय को पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और इसका उपयोग शहर जल संतुलन योजना (CWBP), कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (PMU), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (PIU), परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार (PDMC) जलभृत प्रबंधन योजनाओं और स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (IRMA) को तैयार करने की लागत को कवर करने के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग क्षमता निर्माण के लिए भी किया जाएगा।

सुधार:

मिशन में सुधार एजेण्डे के अन्तर्गत गैर–राजस्व जल में कमी, उपचारित उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण, जल स्रोतों का पुनरूद्धार, दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को बढ़ाना, शहरी नियोजन, शहरी वित्त को मजबूत करना आदि के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाना आदि शामिल है। सुधारों का सफल कार्यान्वयन को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

सूचना, शिक्षा और संचार:

अमृत 2.0 के तहत सूचना शिक्षा और संचार (IEC) की परिकल्पना व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) सहित पानी के संरक्षण पर जागरूकता फैलाने और जनता के बीच जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में की गई है।

पेय जल सर्वेक्षण:

पानी की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज, उपयोग किए गए पानी के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की सीमा और पानी के संरक्षण के

संबंध में सेवा स्तर के बेंचमार्क के अनुपालन का आकलन करने के लिए पेय जल सर्वेक्षण को एक चुनौती प्रक्रिया के रूप में शहरों में प्रस्तावित किया गया है। पेय जल सर्वेक्षण शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा और एक निगरानी उपकरण और मिशन गतिवर्धक के रूप में कार्य करेगा।

जल अवसंरचना के प्रबंधन और गुणवत्ता मूल्यांकन में महिला स्वयं सहायता समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामुदायिक भागीदारी को शामिल किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) प्रबंधन इकाई के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जाएगा।

परिणाम आधारित वित्त पोषण इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। शहर मिशन अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के लिए रोडमैप प्रस्तुत करेंगे।

नागरिकों की प्रतिक्रिया के साथ–साथ ऑनलाइन निगरानी तंत्र का उपयोग करके परिणामों का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन सामुदायिक साझेदारी को सक्षम करेगा।

दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं अनिवार्य हैं और शहर स्तर पर कुल फंड आवंटन का कम से कम 10% पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध होगा।

परियोजनाएं

अमृत 2.0 के तहत परियोजना कार्यान्वयन के माध्यम से मिशन कार्यात्मक परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। परियोजनाओं को तैयार करते समय, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनौपचारिक बस्तियों और निम्न–आय समूहों के परिवारों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाए। इन स्वीकार्य परियोजनाओं को नीचे दी गई तालिका में परिकल्पित कार्यात्मक परिणामों के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगीः

क्रम सं0	कार्यात्मक परिणाम	परियोजनाओं के स्वीकार्य कार्य
1	घरेलू जल नल कनेक्शन के साथ सभी जगह पाइप जलापूर्ति उपलब्ध कराना	• शहर में जल स्रोत सुधार एवं संवर्द्धन • ताजा जल उपचार • अपूरित क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली • मौजूदा जल वितरण प्रणाली का विस्तार • जल आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा की स्थिरता • उपचारित प्रयुक्त जल का पुनः उपयोग • 24X7 जल आपूर्ति का प्रावधान • SCADA जैसे स्मार्ट समाधान • अंतिम घर तक नल की कनेक्टिविटी (जो कि रू0 3,000 प्रति घर से अधिक नहीं होगी)।
2	500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन उपलब्ध कराना और पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना	• सीवरेज नेटवर्क • इन्टरसेप्शन और डाइवर्जन (I&D) हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करना • सीवेज उपचार संयंत्र (STP)

		• शुरू से अंत तक पुनः उपयोग योजना के साथ तृतीय स्तर पर उपचार (PPP मोड में) • मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSTP-cum-STP संयंत्र और संग्रह तंत्र) • उपचार और पुनः उपयोग के साथ सीवरेज प्रणालियों का प्रावधान/संवर्द्धन और पुनः उपयोग • पुनर्चक्रण के लिए उपयोग किए गए पानी का दोहन • पुनर्चक्रित उपयोग किए गए पानी के थोक उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और संभावित उपयोगकर्ताओं (उदाहरण के लिए कपड़ा/चमड़ा/कागज/बिजली संयंत्र/रेलवे, आदि जैसे औद्योगिक क्लस्टर) को उपयोग किए गए पानी की बिक्री की सुविधा प्रदान करना। • SCADA जैसे स्मार्ट समाधान • अंतिम घर तक कनेक्टिविटी (जो कि रू0 3,000 प्रति घर से अधिक नहीं होगी)।
3	जल संवर्धन हेतु जल स्रोतों का पुर्नरूद्धार और हरित क्षेत्रों का विकास	• गाद निकाल कर, तटबंधों को मजबूत करके और पत्थरों की पैकिंग करके आर्द्रभूमियों, जल स्रोतों का पुर्नरूद्धार • प्रदूषित नालों को उपचार संयंत्रों की ओर ले जाना • बरसाती पानी की नालियों के माध्यम से वर्षा जल का संचयन जल स्रोतों में करना • जलभरों/सामुदायिक कुओं का सुदृढ़ीकरण/पुनरुद्धार • जल स्रोतों के आसपास बरसाती पानी की नालियों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण • जल स्रोतों में प्रवाह के उपचार के लिए एसटीपी का प्रावधान। • स्वच्छ जल स्रोतों से जुड़े सामुदायिक हरित क्षेत्रों का विकास • इस क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धनराशि कुल परियोजना आवंटन का 5% से अधिक नहीं होगी। (जल स्रोतों के पुर्नरूद्धार के लिए 4% और हरित क्षेत्रों और पार्कों के विकास के लिए 1%)
4	परिणाम आधारित वित्तीय सहायता	• बेसलाइन से परे और अमृत के दायरे में नहीं आने वाले घरों में कार्यात्मक जल नल और सीवर कनेक्शन के संदर्भ में कार्यात्मक परिणाम के अनुसार वित पोषण हेतु विचार किये जायेंगे।

मिशन के परियोजना घटकों के बीच केंद्रीय निधि आवंटन का वितरण इस प्रकार है:

कम सं0	विवरण	केन्द्रांश (रू0 करोड़)
1.	जल आपूर्ति परियोजनाएँ	35,250
2.	जल स्रोतों का पुर्नरूद्धार और हरित क्षेत्रों का विकास और पार्क परियोजनाएँ	3,900
3.	सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ	27,600
कुल		**66,750**

निधि आवंटन

अमृत 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक पांच वर्षों के लिए कुल परिव्यय रू0 2,77,000 करोड़ है। जिसमें केन्द्रीय हिस्सेदारी रू0 76,760 करोड़ की होगी।

विभिन्न मिशन घटकों के लिए केंद्रीय बजटीय आवंटन निम्नानुसार होगाः

कम सं0	विवरण	केन्द्रांश (रू0 करोड़)
1.	परियोजनायें	66,750
2.	सुधारों के लिए प्रोत्साहन (परियोजना केन्द्रांश आवंटन का 8%)	5,340
3.	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE)। (परियोजना केन्द्रांश आवंटन का 3.25%)	2,169
4.	MoHUA के लिए प्रशासनिक और अन्य व्यय (A&OE) (परियोजना केन्द्रांश आवंटन का 1.75%)	1,168
5.	प्रौद्योगिकी उप–मिशन (परियोजना केन्द्रांश आवंटन का 1%)	667
6.	आईईसी गतिविधियाँ (परियोजना केन्द्रांश आवंटन का 1%)	667

परियोजनाओं के लिए वित्त पोषणः

परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण केंद्र, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और नगरीय निकायों द्वारा साझा किया जाएगा। नगरीय निकाय के विभिन्न वर्गों के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी निम्नानुसार होगीः

नगर निकाय	केन्द्रांश
केन्द्र शासित प्रदेश	100%
उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्य	90%
एक लाख से कम जनसंख्या वाले निकाय	50%
एक लाख से दस लाख की जनसंख्या वाले निकाय	1/3
दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकाय	25% (पीपीपी के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को छोड़कर)

मिशन कार्यान्वयन

मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग (MOU):

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और नगरीय निकायों ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) स्वीकार कर लिया है। यह समझौता ज्ञापन बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ मिलकर जल स्रोत संरक्षण, जल स्रोतों और कुओं के पुनरूद्धार, उपचारित उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग और वर्षा जल संचयन का प्रभावी उपयोग करके शहरी भारत को 'जल–सुरक्षित' बनाने की दिशा में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और नगरीय निकाय के सामूहिक प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।

शहरी जल संतुलन योजनाएँ (City Water Balance Plans):

शहरी जल संतुलन योजनाओं में जल स्रोतों, जल उपचार और वितरण बुनियादी ढांचे, क्षेत्र–वार जल कवरेज, एनआरडब्ल्यू की स्थिति और एसटीपी एवं सीवरेज नेटवर्क आदि जल स्रोतों का विवरण शामिल होगा। नगरीय निकाय घरेलू जल नल और सीवर/सेप्टेज कनेक्शन पर आधारभूत डेटा संकलित करेंगे और साथ ही सेवा वितरण में कमियों पर भी काम करेंगे। मूल्यांकन में पायी गयी कमियों के आधार पर कार्य आधारित परिणामों को लक्षित करने वाली संभावित परियोजनाओं की पहचान की जाएगी।

शहरी जल कार्य योजनाएँ (City Water Action Plans):

शहरी जल कार्य योजनाओं में नगरीय निकाय द्वारा जल आपूर्ति के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन, हरित क्षेत्रों और पार्कों सहित जल स्रोतों का पुनरूद्धार आदि की प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची शामिल की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपचारित उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के माध्यम से शहर की पानी की 20% मांग को पूरा करने की दृष्टि से परियोजनाएं शुरू की जाएं। शहरी जल कार्य योजनाओं को राज्य मिशन निदेशक द्वारा SHPSC को मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य जल कार्य योजनाएँ (State Water Action Plans):

राज्य मिशन निदेशक द्वारा सभी नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत CWAP को संकलित करके SWAP तैयार किया जाएगा। SWAP में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तावित शहर–वार और क्षेत्र–वार परियोजनाओं की पूरी सूची शामिल होगी। परियोजनाओं की लागत में भूमि अधिग्रहण की लागत शामिल नहीं होगी। SWAP में प्रस्तावित नए घरेलू जल नल कनेक्शन, सीवर कनेक्शन और मौजूदा जल नल और सीवर कनेक्शन के कवरेज को बढ़ाने के लिए परियोजनावार संख्या शामिल होगी, जो ऐसी परियोजनाओं के परिणाम होंगे। पीपीपी मोड में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की स्पष्ट पहचान की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजनाएं तभी शुरू की जाएं जब भूमि बिना किसी विवाद के स्पष्ट स्वामित्व के साथ उपलब्ध हो।

शहरी जलभृत प्रबंधन योजना (Urban Aquifer Management Plan):

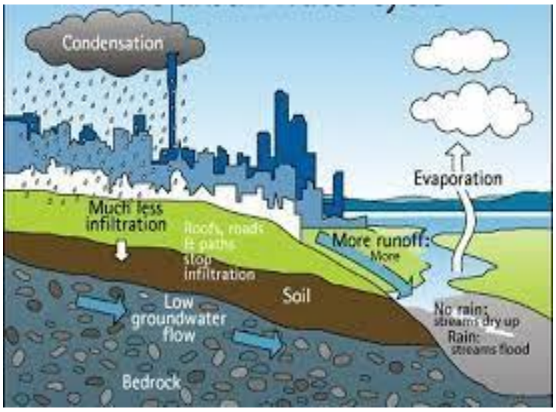

जलभृत प्रबंधन योजना शहरी जलभृत प्रणालियों में सकारात्मक भूजल संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी। शहर की सीमा के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए शहर एक रोडमैप विकसित करके भूजल पुनर्भरण/संवर्धन की रणनीति बनाएंगे। पुनर्भरण और Discharge Zones की पहचान करने और शहरी नियोजन में जलभृत प्रबंधन को एकीकृत करने के लिए शहर केंद्रीय भूजल बोर्ड/राज्य भूजल बोर्ड/अन्य एजेंसियों के तकनीकी सहयोग से जलभृत मानचित्रण करेंगे। भूजल की वर्तमान और भविष्य की उपलब्धता का पता लगाने के लिए शहर एक वार्षिक भूजल संतुलन रिपोर्ट विकसित करेंगे।

परियोजनाओं का कार्यान्वयनः

नगरीय निकायों द्वारा SWAP के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं की योजना, निविदा, कार्य आवंटन और कार्यान्वयन किया जाएगा। जहां नगरीय निकाय के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है, वहां विशेषीकृत पैरास्टेटल एजेंसियां परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगी। परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, नगरीय निकाय प्रयास करेंगी। जिसमें बाहरी संस्थाओं (पीडीएमसी) द्वारा नगरीय निकाय/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को परियोजना डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जाय। विकसित संपत्तियों का रखरखाव और देखभाल करना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/नगरीय निकाय की जिम्मेदारी होगी। स्मार्ट समाधान परियोजनाओं का हिस्सा होंगे।

परियोजनाओं की निगरानीः

मिशन के उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी एक ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से की जाएगी। इस मॉड्यूल के आधार पर सीधे तौर पर धनराशि प्राप्त की जा सकेगी। इसलिए, सूचना के प्रवाह और धनराशि की मंजूरी के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/नगरीय निकाय पदाधिकारियों द्वारा पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन किया जायेगा। अद्यतन किए जाने वाले क्षेत्रों में भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियो, तीसरे पक्ष की रिपोर्ट आदि शामिल होंगे। पोर्टल पर रिपोर्ट की गई प्रगति को नागरिक/तीसरे पक्ष की प्रतिक्रिया के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों और सामुदायिक हितधारकों को भी पोर्टल तक पहुंचने और प्रगति और फीडबैक अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

परियोजना निधि जारी करना (पीपीपी के अलावा):

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता (CA) को निम्नानुसार दो घटकों में विभाजित किया गया हैः

घटक–1: इस घटक के अन्तर्गत SWAP में अनुमोदित परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता हेतु शामिल किया जायेगा। यह निम्नानुसार 20:40:40 की तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा।

- प्रथम किश्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत और शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित SWAP के अनुसार स्वीकृत केन्द्रीय अनुदान का 20% होगा।
- द्वितीय किश्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवंटित कुल केन्द्रीय अनुदान का 40% होगा।
- तृतीय किश्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवंटित कुल केन्द्रीय अनुदान का 40% होगा। इसे पूरी तरह से AMRUT 2.0 परियोजनाओं के माध्यम से कार्यात्मक परिणाम प्राप्त करने पर जारी किया जाएगा।

घटक–2: प्रत्येक नये घर में घरेलू जल नल कनेक्शन रू0 3,000 (तीन हजार रुपये) की दर से फण्ड दिया जायेगा। इसी प्रकार 500 अमृत शहरों में प्रत्येक नये घर में सीवर कनेक्शन के लिए रू0 3,000/– की दर से फण्ड दिया जायेगा। केवल उन नए कनेक्शनों पर विचार किया जाएगा, जिन्हें अमृत और अमृत 2.0 के तहत वित्त पोषित नहीं किया गया है।

पीपीपी मोड में कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए निधि का आवंटनः

दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पीपीपी मोड के तहत नियोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य/नगरीय निकाय उचित वित्तीय मॉडल तैयार करेंगे और ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता अंतर (viability gap) पर काम करेंगे। किसी परियोजना के लिए कुल व्यवहार्यता अंतर परियोजना लागत के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। व्यवहार्यता अंतर का 50%, जो परियोजना लागत का 30% से अधिक न हो, केन्द्रीय अंशदान के रूप में वित्त पोषित करने के लिए स्वीकार्य होगा।

राज्यों एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE):

प्रशासनिक एवं अन्य व्यय हेतु वार्षिक बजट आवंटन का 3.25% राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य ए एंड ओई फंड को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/नगरीय निकाय के बीच उनकी शहरी आबादी और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में आवंटित किया जाएगा।

सुधार प्रोत्साहनः

सुधार प्रोत्साहन के रूप में कुल रू0 5,340 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। मिशन के दूसरे वर्ष से सुधारों की उपलब्धि के लिए वार्षिक बजट आवंटन का 8% हर साल राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सुधार प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। एक वर्ष में कार्यान्वित सुधारों के लिए प्रोत्साहन अगले वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश SWAP के साथ सुधार का भी रोडमैप प्रस्तुत करेंगे।

अमृत 2.0 के अन्तर्गत सुधार एजेण्डा

अनिवार्य सुधारः

अनिवार्य सुधारों में मुख्यतः संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क होंगे। राज्यों को तीसरे वर्ष से केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए मिशन के लॉन्च से पहले दो वर्षों में इन सुधारों को लागू करना होगा।

संपत्ति कर सुधार मुख्यतः संपत्ति कर गणना को अधिसूचित करने पर केंद्रित होगा जिसमें मार्गदर्शी मूल्य/सर्कल दर के साथ–साथ इसकी आवधिक वृद्धि का प्रावधान भी शामिल होगा। अधिसूचना के माध्यम से संपत्ति कर और कवरेज में वृद्धि और संग्रह दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

उपयोगकर्ता शुल्क पर सुधार राज्य द्वारा जल आपूर्ति और सीवरेज हेतु उपयोगकर्ता शुल्क पर अधिसूचना पर केंद्रित होगा। सभी नगरीय निकायों द्वारा इसे अपनाने का संकल्प लिया जायेगा। उपयोगकर्ता शुल्क से ओ एंड एम व्यय में काफी हद तक कमी आएगी और समय–समय पर इसके लिए वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी। नगरीय निकाय में शिकायत निवारण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित की जाएगी।

प्रोत्साहन आधारित सुधारः

प्रोत्साहन आधारित सुधार जल संरक्षण, शहरी प्रशासन और ऊर्जा दक्षता पर होंगे।

(अ) जल संरक्षण पर सुधारः

गैर–राजस्व जल में 20% से नीचे की कमीः

किसी भी नगरीय निकाय के लिए गैर राजस्व जल का आदर्श लक्ष्य 20% होगा। शहर इसके लिए अवैध कनेक्शनों को नियमित करने और पाइपों की क्षति के कारण वितरण प्रणाली में रिसाव को कम करने सहित रोडमैप प्रस्तुत करेंगे। रिसाव का पता लगाने और शिकायत निवारण के लिए मौजूद प्रणाली का मूल्यांकन उसकी प्रभावशीलता के आधार पर किया जाएगा।

शहर की कुल पानी की मांग का कम से कम 20% एवं राज्य स्तर पर औद्योगिक जल की मांग का 40% तक पूरा करने के लिए उपचारित उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण किया जायेगा।

राज्य स्तरीय सुधार के अन्तर्गत उपचारित उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए राज्य द्वारा नीति दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे और नगरीय निकाय द्वारा इसका समाधान किया जायेगा।

एसटीपी की उपचार क्षमता गुणवत्ता, उपचारित उपयोग किए गए पानी को पुनर्चक्रित करने, शहर द्वारा पुनर्चक्रित पानी के उपयोग का प्रतिशत, औद्योगिक, कृषि और अन्य मांग द्वारा उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीनीकरण पानी का प्रतिशत एवं क्या उपचारित उपयोग किए गए पानी को जल स्रोतों में छोड़ा जाता है, इसकी जांच करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की गयी है, इसका भी आकलन किया जाएगा।

एक एकड़ क्षेत्रफल वाले जल स्रोतों का पुनरूद्धारः

जल स्रोतों के पुनरूद्धार के लिए परियोजनाएं शुरू करने वाले नगरीय निकाय को शहर की आबादी के अनुसार पुनरूद्धार के लिए उठाए गए जल स्रोतों की संख्या, डीपीआर तैयार करने, अनुबंध देने और कार्य के निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा।

शहर की जनसंख्या	पुनरूद्धार किये जाने वाले जल स्रोतों की संख्या
40 लाख से अधिक	5
10 लाख से 40 लाख	3
1 लाख से 10 लाख	2
1 लाख से कम	1

नगरीय निकाय का मूल्यांकन जल निकाय में पानी की गुणवत्ता में सुधार, जल स्रोतों से नाली/सीवर का डायवर्जन और जल स्रोतों के आसपास गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्थान के आधार पर किया जाएगा।

चयनित वार्डों में 'नल से जल' सुविधा के साथ 24X7 जल आपूर्तिः

24X7 जल आपूर्ति को परियोजनाओं के रूप में लिया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाएगा। 'नल से जल' सुविधा के साथ 24X7 जल आपूर्ति का मूल्यांकन पानी की गुणवत्ता, घरों तक पहुंच और उपलब्धता के मापदंडों पर किया जाएगा।

हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकासः

नगरीय निकाय, दिव्यांगों के अनुकूल हरित क्षेत्रों और पार्कों पर परियोजनाएं लागू करेंगे। सुधार मूल्यांकन इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर आधारित होगा। प्रत्येक पार्क अधिमानतः 0.5 एकड़ क्षेत्र से कम नहीं होगा। पार्क परियोजनाएं निम्नानुसार शुरू की जाएंगीः

शहर की जनसंख्या	विकसित/संवर्धित किए जाने वाले हरित क्षेत्रों और पार्कों की संख्या
50,000 से 1 लाख	2
50,000 से कम	1

(ब) शासन आधारित सुधारः

जल एवं सीवर कनेक्शन प्राप्त करने में आसानीः

नगरीय निकाय घरों के लिए सीवर/जल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। सेवा स्तर के मानकों के अनुसार इन कनेक्शनों को प्राप्त करने में हुई आसानी, आवश्यक दस्तावेजों और व्यय की गई लागत का मूल्यांकन इस सुधार के तहत किया जाएगा।

क्रेडिट रेटिंग और नगरपालिका बांड जारी करनाः

इस सुधार में श्रेणी–2 शहरों (जनसंख्या 50,000 से 99,999) की क्रेडिट रेटिंग, अमृत योजना वाली नगरीय निकायों की क्रेडिट योग्यता बढ़ाना और नगरपालिका बांड जारी करना शामिल होगा। क्रेडिट रेटिंग राज्य स्तरीय सुधार होगा।

ऑनलाइन नगरपालिका सेवा प्रणालीः

नगरीय निकाय द्वारा नगरपालिका सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी का मूल्यांकन, संपत्ति कर, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र, दुकान लाइसेंस, स्वास्थ्य लाइसेंस और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। नगरपालिका सेवाओं के लिए लक्षित और प्राप्त सेवा संबंधी मानकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

पचास हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में विद्युत वाहन चार्जिंग पॉइंटः

निर्दिष्ट श्रेणी के भवनों/क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा अधिसूचना और दिशानिर्देश तैयार करना और जारी करना और दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए नगरीय निकाय द्वारा रिजोलूशन जारी करना आदि मूल्यांकन के मानदंड होंगे।

दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को बढ़ावा देनाः

सभी शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा दोहरी प्रविष्टि खाता प्रणाली अपनाई जाएगी। दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली में पूर्ण स्थानांतरण और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का मूल्यांकन किया जाएगा।

दस लाख के कम आबादी वाले शहरों में पीपीपी परियोजनाः

दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में जल क्षेत्र में पीपीपी मोड में परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा। जल की मांग और जल अवसंरचना प्रबंधन में महिला स्वयं सहायता समूहों सहित समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ऊर्जा दक्षता में सुधारः

जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के लिए प्रभावी ओ एंड एम की Standard Operating Procedure (SOP) का मूल्यांकन किया जाएगा। पंपों की ऊर्जा दक्षता और फिल्टरों की सफाई प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

शहरी नियोजन में सुधार और शहरी नियोजन के माध्यम से भूमि मूल्य का खुलासा करनाः

भूमि मुद्रीकरण, भूमि मूल्य का खुलासा करना और भूमि उपयोग दक्षता में सुधार करना आदि निम्नानुसार उप–योजनाओं के माध्यम से किया जाएगाः

50,000 – 99,999 की आबादी वाले श्रेणी–2 शहरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान–उपयोजनाः 50,000 – 99,999 की आबादी वाले श्रेणी–2 शहरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के लिए एक उप योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। यह उप योजना, अमृत जीआईएस उप योजना के अनुरूप होगी, जिसमें तीन प्रमुख घटक जियो–डेटाबेस निर्माण, जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना और क्षमता निर्माण शामिल होंगे।

स्थानीय क्षेत्र योजना (Local Area Plan) और नगर नियोजन योजना (Town Planning Scheme) पर उप–योजनाः यह उप–योजना अधिकतम भूमि उपयोग को लक्षित करने वाले चुनिंदा शहरों में एलएपी और टीपीएस के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करेगी। यह हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से राज्यों और शहरों को एलएपी/टीपीएस योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा। इसके लिए हैंडहोल्डिंग सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

पेय जल सर्वेक्षण

पेय जल सर्वेक्षण नगरीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, जिसमें निम्नलिखित मापदंडों का मूल्यांकन किया जाएगाः

- जल आपूर्ति प्रबंधन और नवीन पद्धतियाँ,
- जल आपूर्ति सेवा स्तर बेंचमार्क का अनुपालन जिसमें कवरेज, गुणवत्ता, मात्रा और उपयोगकर्ता शुल्क सुधार सम्मिलित होगा,
- District Metered Areas (डीएमए) के माध्यम से गैर–राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) में कमी और रिसाव की जांच के लिए प्रशिक्षण,
- सीवेज और जल उपचार संयंत्रों की परिचालन दक्षता,
- जल स्रोतों और कुओं का पुनरूद्धार,
- उपचारित उपयोग किए गए पानी के संग्रहण, उपचार और पुनः उपयोग का मूल्यांकन।

प्रौद्योगिकी उप–मिशन

प्रौद्योगिकी उप–मिशन पानी और प्रयुक्त जल उपचार, वितरण और जल निकाय पुनरूद्धार के क्षेत्र में नवीन, सिद्ध और संभावित पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पहचान की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रभावी परिणामों के लिए सामंजस्य

ग्रामीण–शहरी सामंजस्यः उपचारित उपयोग किए गए पानी के पुनः उपयोग के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ जल बाजारों का पता लगाया जाएगा। नगरीय निकाय द्वारा एसटीपी की अतिरिक्त क्षमताओं में आसपास के गांवों से लाये हुए सीवेज/सेप्टेज के सह–उपचार का कार्य किया जायेगा।

शहरी–शहरी सामंजस्यः अमृत 2.0 मिशन देश भर के सभी नगरीय निकायों को आच्छादित करता है। कई नगरीय निकाय बहुत छोटे हैं और उनकी जनसंख्या 10,000 से कम है। ऐसी नगर निकायों के लिए, जल आपूर्ति परियोजनाएं तभी तकनीकी–आर्थिक रूप से टिकाऊ हो सकती हैं, जब कई नगरीय निकायों जो एक–दूसरे से सटे हों, का समूह बनाकर योजना बनाई जाए। उदाहरण के लिए, नगरीय निकायों के समूह के लिए सुदूर स्थित जल स्रोत से एक सामान्य प्रवेश लाइन बिछाई जा सकती है। राज्य/नगरीय निकाय जहां भी संभव हो शहरों के समूह के लिए ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाने का प्रयास करेंगे। SWAP में शामिल करने से पहले SHPSC द्वारा ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता का विशेष रूप से विश्लेषण किया जाएगा।

मिशनों के बीच सामंजस्यः स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के कुछ घटक अमृत 2.0 के समान हैं। स्वच्छता और FSSM स्वच्छ भारत मिशन के घटक हैं और स्मार्ट समाधानों के साथ जल आपूर्ति स्मार्ट सिटी मिशन का एक घटक है। अमृत 2.0 के विभिन्न घटकों के माध्यम से रोजगार सृजन जैसे परियोजना कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण आदि शहरी आजीविका में योगदान देता है, जो एनयूएलएम का उद्देश्य भी है।

क्षमता निर्माण

अमृत 2.0 के अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय पदाधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों और नागरिकों के लिए क्षमता निर्माण किया जाएगा। क्षमता निर्माण का उद्देश्य कार्यात्मक ज्ञान को बढ़ाना और लक्षित समूहों के कार्य–संबंधी कौशल में सुधार करना है।

Urabn Aquifer Management Plan (शहरी जलभृत प्रबंधन योजना)

अमृत 2.0 कुओं और जलभृतों के महत्व और इन प्रणालियों पर शहरी आबादी की निर्भरता को मानता है। मिशन का इरादा जल सुरक्षित शहरों के निर्माण के लिए शहरी जलभृत प्रणालियों के प्रबंधन को प्राथमिकता देना है। मिशन के तहत नगरीय निकाय निम्नलिखित मापदंडों पर विशेष ध्यान देने के साथ भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए ठोस रणनीति विकसित करेंगे।

- भूजल पर नगरीय निकाय की निर्भरता
- शहर की जलभृत प्रणालियों की प्रमुख विशेषताएँ
- शहर की सीमा के भीतर उपलब्ध रिचार्ज क्षमता

सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान

नागरिकों तक मिशन और उसके उद्देश्यों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिएय सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) का कार्य किया जाएगा। आईईसी अभियान का लक्ष्य Behaviour Change Communication (बीसीसी) को प्रभावित करने वाले लोगों की एवं स्थानीय समुदायों की सूचना, शिक्षा और मनाने के माध्यम से क्षमताओं का निर्माण करना होगा। सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान वार्ड समितियों, Resident Welfare Associations, वरिष्ठ नागरिकों, गृहणियों, गैर सरकारी संगठनों और Civil Society Groups, छात्रों और युवाओं, मशहूर हस्तियों, ब्रांड एंबेसडर और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके अभियान को एक आंदोलन– जन आंदोलन में बदलने का प्रयास करेगा।

आईईसी उपकरण और कार्य योजनाः

अमृत 2.0 के अन्तर्गत उपयोग किए जाने वाले IEC उपकरण निम्नवत् हैं–

मास मीडिया–टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, फिल्में, अमृत 2.0 गान आदि।	**प्रभावशाली व्यक्तियों, मशहूर हस्तियों के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान और जल योद्धाओं की पहचान**	**पैम्फलेट, ब्रोशर, लीफलेटस्, स्निपेट के माध्यम से बाहरी प्रचार–होर्डिंग्स, बैनर, स्टैंडी, दीवार पेंटिंग आदि।**
गतिविधियाँ–बच्चों, स्थानीय समुदाय के बीच प्रतिस्पर्धा	**सामुदायिक सहभागिता**	**सफलता की कहानियों की प्रदर्शनी/मेला**

संस्थागत तंत्र

मिशन को लागू करने के लिए एक त्रि–स्तरीय संस्थागत तंत्र निम्नानुसार हैः

राष्ट्रीय स्तर	सर्वोच्च कमेटी; राष्ट्रीय मिशन निदेशालय; राष्ट्रीय परियोजना निगरानी इकाई (PMU)
राज्य स्तर	राज्य उच्चाधिकार संचालन समिति (SHPSC); राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC); राज्य मिशन निदेशालय; परियोजना विकास एंव प्रबन्धन सलाहकार (PDMC)
नगर निकाय स्तर	नगरीय निकायों की पैरास्टेटल संस्थायें; शहर मिशन निगरानी इकाई (CMMU); जिलास्तरीय सलाहकार एवं निगरानी कमेटी (DLAMC)

राष्ट्रीय स्तरः

*शीर्ष समिति (**Apex Committee**):*

मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु सचिव, MoHUA की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति (Apex Committee) मिशन की निगरानी करेगी जिसमें संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका मुख्य कार्य निम्न होगा–

- राज्यों को नीति मार्गदर्शन निर्माण, केंद्रीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करना,
- राज्य जल कार्य योजनाओं (SWAP) को मंजूरी प्रदान करना,
- राज्यों/मिशन निदेशालय को धन आवंटित करना और जारी करना।
- राज्य स्तर पर मिशन की प्रगति और निधि उपयोग की निगरानी करना।
- राज्यों को सुधार कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए रोडमैप पर सलाह देना।

*राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (**PMU**):*

राष्ट्रीय मिशन निदेशालय को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा। इसका कार्य सम्पूर्ण मिशन की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करना, आवश्यकतानुसार राज्यों/शहरों का दौरा करना, पोर्टल को अपडेट रखने के लिए पीडीएमसी/सीएमएमयू से संपर्क करना और मिशन निदेशक के निर्देशानुसार कार्य करना है।

*स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी (**IRMA**):*

MoHUA द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समूह के लिए स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी का चयन किया जाएगा। MoHUA द्वारा आईआरएमए को भुगतान किया जाएगा। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी को समीक्षा और फीडबैक आदि लेने में सुविधा प्रदान करेंगे। स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी द्वारा समय–समय पर रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज MoHUA को प्रस्तुत किए जाएंगे और इसकी एक प्रति राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भी भेजी जाएगी।

राज्य स्तर

*राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (**SHPSC**):*

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) राज्य स्तर पर मिशन कार्यक्रम का संचालन करेगी। इसके मुख्य कार्य निम्नवत् होंगे–

- राज्य जल कार्य योजना (SWAP) को मंजूरी देना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना।
- परियोजनाओं की प्रगति, क्षमता निर्माण, आईईसी अभियान और सुधार कार्यान्वयन सहित मिशन की निगरानी करना।

- परियोजनाओं के लिए धनराशि की किश्त जारी करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्तावों की सिफारिश करना।
- परियोजना कार्यान्वयन के लिए राज्य और शहरी स्थानीय निकाय के हिस्से को अंतिम रूप देना।
- केंद्र और राज्य की धनराशि का नगरीय निकायों को समय पर आवंटित करते हुए जारी करना।
- सुधारों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण की योजनाओं को मंजूरी देना, अधिसूचनाएं जारी करना आदि।
- अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत स्थापित संयंत्रों के संचालन एवं रखरखाव पर राज्य मिशन निदेशक को सलाह देना।

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC):

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रमुख सचिव, नगर विकास/सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में एसएलटीसी की नियुक्ति करेंगे जो मुख्य रूप से डीपीआर और निविदा दस्तावेजों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगा। अनुमोदन देने से पहले, एसएलटीसी परियोजनाओं के लिए निर्विवाद भूमि की उपलब्धता, कम से कम पांच वर्षों के लिए ओएंडएम का समावेश और अंतिम घरों तक नल/सीवरेज कनेक्टिविटी की पहुंच सुनिश्चित करेगा।

परियोजना विकास एवं प्रबंधन सलाहकार (PDMC):

पीडीएमसी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक अनुबंध, मॉडल अनुरोध फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जो मिशन टूलकिट में उपलब्ध है, के माध्यम से गठित किया जा सकता है। राज्य मिशन निदेशक अगर चाहें तो अमृत मिशन के लिए मौजूद पीडीएमसी को अमृत 2.0 के लिए जारी रख सकते हैं। पीडीएमसी की परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, पर्यवेक्षण और प्रबंधन हेतु कार्य करेगा।

पीडीएमसी का कार्य मुख्यतः परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, पर्यवेक्षण और प्रबंधन होगा। वे सीडब्ल्यूबीपी, सीडब्ल्यूएपी और एसडब्लूएपी तैयार करेंगे और पीएमआईएस/नवीनतम आईटी उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके जांच, डिजाइन, क्रय और कार्यान्वयन करेंगे।

नगरीय निकाय स्तरः

अमृत 2.0 के अन्तर्गत नगर आयुक्त के प्रतिनिधित्व में नगरीय निकाय, मिशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। नगरीय निकाय की जिम्मेदारियां निम्नानुसार होंगीः

- शहरी जल संतुलन योजनाओं को समय पर प्रेषित करना।
- राज्य मिशन निदेशक/पीडीएमसी की डीपीआर तैयार करने में सहायता करना।
- वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुसार निविदाएं देने और अनुबंध देने के लिए कार्य करना और अनुबंध के तहत काम को समय पर पूरा करना।
- पेयजल सर्वेक्षण हेतु सक्रिय रूप से भाग लेना एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- सुधारों को समयसीमा के भीतर हासिल करना।

सिटी मिशन प्रबंधन इकाइयाँ (CMMU):

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राज्य के भीतर किसी शहर या शहरों के समूह को सहयोग करने के लिए सेक्टर विशेषज्ञों वाले सीएमएमयू को नियुक्त करेंगे।

जिला स्तर:

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 सहित शहरी क्षेत्र में कई कार्यक्रमों की समीक्षा और निगरानी के लिए जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में गठित होने वाली जिला स्तरीय सलाहकार और निगरानी समिति (DLAMC) के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिले के अन्तर्गत आने वाले नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

अमृत की चलायमान परियोजनाएँ:

अमृत के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं को अमृत के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त पोषित किया जाना जारी रहेगा।

शहरी विकास योजनायें एवं अमृत 2.0 के साथ इनका अभिसरण

1. स्वच्छ भारत मिशन 2.0

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाना था। मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। मिशन के उद्देश्य निम्नवत थे :–

- खुले में शौच का उन्मूलन – व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला उठाने) का उन्मूलन।
- आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के प्रति व्यवहारिक परिवर्तन लाना।
- स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की क्षमता वृद्धि।
- पूंजी व्यय और संचालन व रखरखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण बनाना।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 का परिचय

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी मिशन का दूसरा चरण है, जो 2021 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करना और सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शहरी निकायों की क्षमता निर्माण, कचरा पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा दिया जाता है।

लक्ष्य

एसबीएम 2.0 का मुख्य लक्ष्य 2026 तक सभी शहरी क्षेत्रों को कचरा मुक्त बनाना और ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार लाना है। इसके तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना।
- सीवरेज और मलजल प्रबंधन को उन्नत बनाना।
- खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखना।
- 100: कचरा प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण।

प्रमुख विशेषताएँ

1. कचरा मुक्त शहर:
    - कचरा पृथक्करण और प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान।
    - कचरा उठाव, परिवहन और निपटान के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग।
2. पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग:
    - जैविक और अजैविक कचरे का पुनर्चक्रण।
    - कम्पोस्टिंग और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना।
3. स्वच्छता बुनियादी ढाँचा:
    - सार्वजनिक शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।
    - स्वच्छ पेयजल और मलजल निपटान प्रणाली।

वित्तपोषण

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए वित्तीय प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी पर आधारित है। केंद्र सरकार कुल फंड का 60% प्रदान करती है, जबकि शेष 40% राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। मिशन के तहत प्रमुख व्यय में कचरा प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना, शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता सेवाओं का उन्नयन शामिल है।

कार्यान्वयन

- मिशन का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के माध्यम से किया जाता है।
- निगरानी और मूल्यांकन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाता है।
- कचरा पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।
- विशेष स्वच्छता अभियान और नागरिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

चुनौतियाँ

- कचरा पृथक्करण के प्रति नागरिकों में जागरूकता की कमी।
- ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन।
- शहरी निकायों में वित्तीय संसाधनों की कमी।

निधि साझाकरण:

- पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों में ULB के लिए 90% : 10%
- विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%

- विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 80% : 20%
- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ULB के लिए 25% : 75%
- 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले ULB के लिए 33% : 67%
- 1 लाख से कम जनसंख्या वाले ULB के लिए 50% : 50%

मिशन परिणाम

- सभी सांविधिक शहर कम से कम 3–स्टार कचरा मुक्त या उच्च प्रमाणित हों।
- सभी सांविधिक शहर कम से कम ODF+ (खुले में शौच मुक्त) हों।
- 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी सांविधिक शहर कम से कम ODF++ हों।
- 1 लाख से कम जनसंख्या वाले कम से कम 50% सांविधिक शहर Water+ हों।

स्वच्छ भारत मिशन में सूचना, शिक्षा और संचार

स्वच्छ भारत मिशन में सूचना, शिक्षा और संचार एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, सफाई और व्यवहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाना, जनता को शिक्षित करना और संचार के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाना है।

स्वच्छ भारत मिशन में सूचना, शिक्षा और संचार की भूमिका

1. जागरूकता उत्पन्न करनाः
    - स्वच्छता, स्वास्थ्य और सफाई के महत्व के बारे में समुदायों को शिक्षित करना।
    - खुले में शौच और कचरे के अनुचित निपटान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी देना।
2. व्यवहारिक परिवर्तनः
    - शौचालय का उपयोग और व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना।
    - कचरे के स्रोत पर पृथक्करण और उचित निपटान को बढ़ावा देना।
3. समुदायिक सहभागिताः
    - स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रभावशाली लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
    - रैलियाँ, नुक्कड़ नाटक और कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना।
4. संचार रणनीतियाँः
    - मल्टीमीडिया अभियानः टीवी, रेडियो, प्रिंट और डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग।
    - स्कूल, एनजीओ और सामुदायिक समूहों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
5. क्षमता निर्माणः
    - नगरपालिका कर्मचारियों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को स्वच्छता प्रथाओं में प्रशिक्षित करना।
    - सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव और सफाई के प्रति नागरिकों को शिक्षित करना।

स्वच्छ भारत मिशन में सूचना, शिक्षा और संचार की गतिविधियाँ

- जन जागरूकता अभियानः स्वच्छता से संबंधित टीवी विज्ञापन, रेडियो जिंगल और पोस्टर।
- सोशल मीडिया अभियानों का उपयोगः फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों का प्रभावी उपयोग।
- व्यक्तिगत संचारः घर–घर जाकर जागरूकता फैलाना और सामुदायिक बैठकें।
- विद्यालय कार्यक्रमः बच्चों को स्वच्छता का दूत बनाना।
- स्वच्छता रथ और मेलेः स्वच्छता प्रथाओं का प्रदर्शन करने वाले चलंत वाहन और मेले।

सूचना, शिक्षा और संचार के प्रभाव

- शौचालय उपयोग में वृद्धि और खुले में शौच में कमी।
- कचरा प्रबंधन में जनसहभागिता का विस्तार।
- स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंध की व्यापक समझ।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को 'सबके लिए आवास' के विज़न को मूर्त रूप देते हुए देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसमानुकूल पक्के आवास प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पीएमएवाई–यू) शुरू की गई थी। तत्पश्चात, जून 2024 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निश्चय किया।

केन्द्रीय बजट 2024 में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तदनुसार, 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 शुरू की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी भारत के पात्र नागरिक एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 का कार्यक्षेत्र

1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 का क्रियान्वयन दिनांक 01.09.2024 से 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किफायती लागत पर आवास के निर्माण, खरीद या किराए के लिए राज्यों/प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

1.2 इस मिशन को केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, सिवाय ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) घटक के, जिसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। योजना को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगाः

i. लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)
ii. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)
iii. किफायती किराया आवास (एआरएच)
iv. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

1.3 एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों से संबंधित परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए।

1.4 यह योजना बुनियादी नागरिक सुविधाओं और बुनियादी सामाजिक अवसंरचना/सुविधाओं के साथ न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के आवासों के निर्माण में सहायता करेगी। इसके अलावा, राज्यों के पास भारत सरकार की वित्तीय सहायता में किसी भी वृद्धि के बिना, मंत्रालय के परामर्श से 45 वर्ग मीटर तक के आवासों के आकार और अन्य सुविधाओं का निर्धारण करने की छूट होगी। राज्य अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजना स्थल तक अपने स्वयं के संसाधनों से बुनियादी ट्रंक अवसंरचना/सुविधाएं प्रदान करेंगे।

1.5 परियोजनाओं में पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी नागरिक अवसंरचना/सुविधाएं होगीं। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को यह सुनिश्चित करना होगा कि आईएसएस और बीएलसी घटकों के तहत प्रत्येक आवास में इन बुनियादी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था हो। राज्य एएचपी और एआरएच परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में निम्न के लिए उपयुक्त प्रावधान करेंगे:

क. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों में उल्लिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए बाधा मुक्त पहुंच के लिए रैंप और अन्य सुविधाओं का आवश्यक प्रावधान।

ख. जहां कहीं आवश्यक हो, एएचपी परियोजनाओं के स्थल पर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण।

ग. वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था।

घ. सौर ऊर्जा प्रणाली, विशेष रूप से साझी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

ङ. परियोजना स्थल के अंदर पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण।

1.6 राज्य अपने विवेकानुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक कट–ऑफ तिथि निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें लाभार्थियों को योजना के तहत लाभ लेने हेतु पात्र होने के लिए उक्त तिथि तक उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

1.7 योजना में भाग लेने और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य प्रारूप के अनुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करके निर्दिश्ट समयसीमा में निर्धारित सुधारों (रिफॉर्म्स) को लागू करने के लिए सहमत होंगे।

1.8 इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहीत/खरीदे गए आवास घर की महिला मुखिया के नाम पर या परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होंगे और केवल ऐसे मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है। ऐसे मामलों में जहां आवेदक एक विधुर, अविवाहित, तलाकशुदा व्यक्ति या ट्रांसजेंडर है, आवास उन्हीं लोगों के नाम पर बनाया जाएगा। लाभार्थी (लाभार्थियों) की मृत्यु के मामले में, लाभार्थी (लाभार्थियों) के कानूनी उत्तराधिकारी को योजना के तहत लाभ मिलेगा।

1.9 लाभार्थी से योजना दिशानिर्देशों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रारूप में आय के पात्रता मानदंड को पूरा करने संबंधी घोषणा के रूप में और भारत में कहीं भी उसके नाम पर या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होने से संबंधित वचन पत्र लिया जाएगा।

1.10 राज्य की सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को एएचपी परियोजनाओं में लाभार्थी निवासी संघों जैसे आवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए)/अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) आदि का गठन सुनिश्चित करना होगा। ये संगठन इस योजना के तहत निर्मित आवासों की सुविधाओं और रखरखाव का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। कार्यान्वयन एजेंसियां भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 (यदि लागू हो) और अन्य लागू राज्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

2. आच्छादन

2.1 जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक नगरों और बाद में अधिसूचित नगरों तथा अधिसूचित योजना क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई भी प्राधिकरण जिसे शहरी योजना और नियमों के कार्य सौंपे गए हों, के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र को योजना के सभी घटकों के तहत शामिल किया जाएगा।

3. पात्रता मानदंड

3.1 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणी से संबंधित परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत आवास खरीदने या बनाने के लिए पात्र हैं।

3.2 लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 योजना के घटकों में से केवल किसी एक घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। ऐसे लाभार्थी जिन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में केन्द्र सरकार, राज्य और स्थानीय स्वशासन की किसी भी आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आवास की मांग का सत्यापन करते समय लाभार्थी द्वारा एक वचन–पत्र भी दिया जाएगा।

3.3 ईडब्ल्यूएस परिवारों को 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एलआईजी को 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एमआईजी को 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सहमति से मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ईडब्ल्यूएस के वार्षिक आय मानदंड को फिर से परिभाषित करने का निर्णय ले सकते हैं।

3.4 योजना के तहत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी/चॉल के निवासियों और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के संचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

3.5 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि पिछली आवास योजनाओं के तहत किसी पात्र लाभार्थी के माता–पिता को पक्का आवास प्रदान किया गया है, तो उनके आवदेन पर, ऐसे पात्र परिवारों/लाभार्थियों जिनके माता–पिता ने पिछली आवास योजनाओं का कोई लाभ नहीं उठाया है, को पहले लाभ प्रदान करने के बाद विचार किया जाएगा।

3.6 लाभार्थी अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण या प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पीएमएवाई–जी के लिए ग्रामीण विकास विभाग के बीच लाभार्थियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एमआईएस लिंकेज किया जाएगा। लाभार्थियों की अंतिम सूची को सीएसएमसी द्वारा स्वीकृति के लिए भेजने से पहले राज्यों शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उसकी जांच और सत्यापन किया जाएगा।

3.7 सभी पात्र लाभार्थियों (परिवार के सदस्यों सहित) के पास लाभार्थियों के विवरण से जुड़ी आधार/वर्चुअल आधार आईडी होनी चाहिए।

3.8 लाभार्थियों के चयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला/शहरी स्थानीय निकाय स्तर की समिति जिम्मेदार होगी। भारत सरकार इस समिति में दो गैर–सरकारी/जन प्रतिनिधियों को नामित कर सकती है।

4. कार्यान्वयन पद्धति

4.1 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाने के लिए राज्यों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे निर्दिष्ट रिफॉर्म्स को लागू करेंगे, साथ ही किफायती आवास के लिए प्रोत्साहन (इन्सेनटिव्स) प्रदान करेंगे और राज्य की 'किफायती आवास नीति' तैयार करेंगे। राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 मिशन के कार्यान्वयन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करेंगे।

4.2 राज्य एमओए पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत पीएमएवाई–यू में पहले से अनुमोदित शहरों को छोड़कर, अतिरिक्त/नवगठित सांविधिक कस्बों/शहरों को शामिल करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे।

4.3 शहरों में योजना के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय/राज्य द्वारा नामित एजेंसी, नोडल एजेंसी होंगी। विकास प्राधिकरण और अन्य पैरास्टेटल एजेंसियां अपने परियोजना प्रस्ताव केवल संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से ही राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एसएलएसी)/एसएलएसएमसी और सीएसएमसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगी।

4.4 राज्य शहर दिशा निर्देश के अनुसार आवास की वास्तविक मांग का आंकलन करने के लिए उपयुक्त साधनों के माध्यम से विभिन्न घटकों के तहत आवास की मांग का त्वरित मूल्यांकन करेंगे। लाभार्थी सभी विवरणों के साथ अपने आवास के आवेदन के लिए योजना के एकीकृत वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। राज्यों शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों को योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा। राज्यों शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ऐसे लाभार्थी परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में अपना पक्का मकान है और जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 का लाभ उठाने के लिए शहर में पलायन किया है, की जांच कर उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा।

4.5 आवासों की मांग के मूल्यांकन और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, शहर दिशानिर्देश के अनुसार एकीकृत वेब पोर्टल पर शहर–वार आवास योजना के ऑनलाइन प्रारूप में भरेंगे, जिसमें शहर में पात्र लाभार्थियों के लिए आवास की घटकवार कुल और वार्षिक मांग शामिल है।

4.6 इस योजना के तहत निर्मित आवासों की प्रगति को निर्माण के विभिन्न चरणों पर जियो–टैगिंग और अन्य डिजिटल मानदंडों के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा ताकि निर्माण के प्रत्येक चरण में आवासों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके। आवासों की जियो–टैगिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के घटकों के अनुसार लेआउट, नींव/प्लिंथ, लिनटल, छत और पूर्णता चरण जैसे पांच निर्माण चरणों में की जाएगी।

4.7 इस योजना में बीएलसी के तहत आवास के पूरा होने की तारीख से, एएचपी के तहत आवास के कब्जे और आईएसएस घटक के तहत होम लोन की पहली किस्त के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अनिवार्य लॉक–इन अवधि होगी और लाभार्थी को इस अवधि के दौरान आवास को बेचने/स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होगी।

4.8 मिशन द्वारा योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए राश्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां की जाएंगी। राज्य/शहरी स्थानीय निकाय भी सभी हितधारकों के बीच व्यापक प्रसार के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां करेंगे। राज्य शहरी स्थानीय निकाय योजना के तहत निर्मित सभी आवासों के बाहर प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के प्रतीक चिन्ह (लोगो) को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे।

4.9 राज्य थर्मल कम्फर्ट, ऊर्जा दक्षता, आपदा प्रतिरोधी और लागत प्रभावी अभिनव आवास निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग पर लाभार्थियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाएंगे।

3. पीएम स्वनिधि योजना

कोरोना काल में रेहड़ी–पटरी लगाने वाले विक्रेताओं को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने पी एम स्वनिधि योजना को आरम्भ किया। 1 जून, 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कोविड–19 महामारी की वजह से जिन स्ट्रीट वेंडर्स के सामने रोजी–रोटी की भी चुनौती खड़ी हो गई थी वे फिर से अपना काम शुरू कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हीं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए PM SVANidhi (Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) योजना को लागू किया गया।

इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सूक्ष्म लोन (Micro Loan) मुहैया कराकर उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने में मदद करने की कोशिश की गई है। साथ ही वे डिजिटल लेन–देन को भी प्रेरित किया जा रहा है।

पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य

- स्ट्रीट वेंडर्स को छोटी रकम के लोन (Micro Loan) उपलब्ध कराना
- स्वरोजगार को बढ़ावा देना और शहरों में भी जीवनयापन के लिए अवसर देना
- डिजिटल लेनदेन पर छूट और सब्सिडी देकर उन्हें इसके लिए प्रेरित करना
- गरीब और असंगठित क्षेत्र के लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना

पीएम स्वनिधि में लोन की राशिः

लोन	राशि	ब्याज सब्सिडी	पैसा लौटाने का समय	नियम
पहला	रू0 10,000	7%	12 महीने	गारंटी मुक्त
दूसरा	रू0 20,000	7%	12 से 18 महीने	पहला लोन चुकाने के बाद ही यह लोन मिलेगा
तीसरा	रू0 30,000–50,000	7%	18 से 36 महीने	दूसरा लोन चुकाने के बाद

पीएम स्वनिधि योजना की विशेषताएं

- सूदखोरों के चक्कर में न पड़कर छोटे लोन आसानी से उपलब्ध
- लोन लेने के लिए किसी भी तरह की कोई गारंटी की जरूरत नहीं
- सरकार ब्याज में भी 7 फीसदी की सब्सिडी देती है
- डिजिटल लेनदेन पर 100 रुपये महीने तक का कैशबैक भी मिलता है
- समय से पहले भी पैसा चुकाने पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा

पीएम स्वनिधि योजना का लोन लेने के लिए पात्रता

- यह योजना शहर या कस्बों में रहने वाले रेहड़ी–पटरी वालों के लिए है
- स्ट्रीट वेंडर्स के पास शहरी स्थानीय निकाय (ULB) से वेंडिंग का सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड होना चाहिए
- अगर स्थानीय निकाय के सर्वे में नाम छूट गया है तो सिफारिश का पत्र (LoR) होना चाहिए
- अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो ULB द्वारा सत्यापन के बाद शामिल किया जा सकता है

पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन की प्रक्रियाः

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं
- होमपेज पर Login का ऑप्शन दिखेगा, उसमें Applicant पर क्लिक करें
- मोबाइल नंबर और ओटीपी से आवेदन के लिए लॉगिन करें
- अब Vendor Category को चुनें, Survey Reference Number भरें
- यह नंबर ULB द्वारा मिले सर्टिफिकेट में होगा
- बाकी मांगी गई जानकारियों को भी सही ढंग से भरें
- अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट कर दें
- आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट अटैच करें।
- इसके बाद आपको बताना होगा कि आप किस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं।
- अब बैंक द्वारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा।
- डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद लाभार्थी को लोन मिल जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account Details)
- एड्रेस प्रूफ (Address Proof)
- मोबाइल नंबर
- पैन कार्ड (PAN Card)

स्वनिधि से समृद्धि

- पीएम स्वनिधि योजना न केवल रेहड़ी–पटरी वालों को ऋण दे रही है, बल्कि उनके समग्र विकास और सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए रेहड़ी–पटरी वालों और उनके परिवारों तक पहुंचने का एक साधन भी होनी चाहिए।
- पीएम स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त घटक, स्वनिधि से समृद्धि 4 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइलिंग की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई प्रोफाइल से चयनित केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उनकी संभावित पात्रता की पहचान की जाती है।

इन योजनाओं से तेजी से जोड़ने के लिए, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा, जिलाधिकारी/नगर आयुक्त की अध्यक्षता में, प्रत्येक महीने के पहले सोमवार से शुरू होकर, एक सप्ताह का अभियान आयोजित किया जाता है। जिसके तहत शिविर लगाये जाते हैं।
विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैनात राष्ट्रीय नोडल अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी, शहर स्तरीय नोडल अधिकारी (सीएलएनओ) इन शिविरों में योजना लिंकेज सुनिश्चित करेंगे।

सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइलिंग के क्षेत्र

- आवास और अन्य संपत्तियां,
- स्वास्थ्य कवरेज और विकलांगता की स्थिति,

- शिक्षा, कौशल और रोजगार,
- महिला एवं बाल कल्याण,
- बैंकिंग और बीमा,
- प्रवासन स्थिति,
- परिवार के सदस्यों की व्यावसायिक श्रेणी,
- आकांक्षी मानचित्रण,
- कोई अन्य प्रासंगिक क्षेत्र।

डेटा संग्रह और पात्रता का आंकलन

- पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइलिंग के लिए डेटा संग्रह यूएलबी अधिकारियों द्वारा एक वेब–आधारित/मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है।
- पीएम स्वनिधि लाभार्थियों (वितरित ऋण) की सूची इस कार्यक्रम के लिए डिजाइन किए गए आईटी पोर्टल पर उपलब्ध है।
- इस प्रकार तैयार की गई प्रोफाइल लाभार्थियों की चयनित केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पात्रता की पहचान करती है, और रेहड़ी–पटरी वालों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट संदेश भेजे जाते हैं।
- गतिविधियों की प्रगति यूएलबी और राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा आईटी पोर्टल पर देखी जा सकती है।

योजनाओं का आच्छादन

इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही निम्न योजनायें आच्छादित हैं–

1. पीएम श्रम योगी मानधन योजना
2. बीओसीडब्ल्यू (भवन और अन्य निर्माण श्रमिक)
3. पीएम जीवन ज्योति योजना
4. पीएम सुरक्षा बीमा योजना
5. पीएम जन धन योजना
6. पीएम मातृ वंदना योजना
7. जननी सुरक्षा योजना
8. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड